

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 589/2017/कोटा.

मैसर्स जैन ट्रेडर्स,
रूम नं0 5, बिल्डिंग नं0 161, फर्शखाना, दिल्ली.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा.
2. अपीलीय प्राधिकारी—प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी—प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 357/अ.प्रा.-1/आरवैट/जयपुर/2015-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 09.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 19.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.10.2015 को कोटा के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कोटा (राजस्थान) में वाहन संख्या आर.जे.32/जी-2056 की जांच की गई। जांच में वाहन में भरे माल 'कांटेदार तार' के दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने माल की बिल्टी जी. आर. नं0 006393 दिनांक 09.10.2015, जिसमें प्रेषक सूर्या वायर्स प्रा0 लि0, रायपुर (छत्तीसगढ़) तथा प्रेषिती मैसर्स जैन ट्रेडर्स, रूम नं0 15, बिल्डिंग संख्या 161, फर्शखाना, दिल्ली, रायपुर छत्तीसगढ़ की धर्मकांटा की पर्ची संख्या 1122 दिनांक 09.10.2015 भी संलग्न थी एवं विक्रय बिल मैसर्स सूर्या वायर्स प्रा0 लि0, 20, इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ का इन्वॉयस संख्या 650 दिनांक 09.10.2015, जिसमें मैसर्स जैन ट्रेडर्स, फर्शखाना, दिल्ली को माल का विक्रय किया जाना वर्णित था वे प्रस्तुत किये गये। इन्वॉयस में माल को 'सी'

लगातार.....2

फॉर्म के समर्थन के साथ 2 प्रतिशत से विक्रय किया जाना भी बताया गया था। इसके साथ ही मध्यप्रदेश राज्य का 'ई' फॉर्म-59 संख्या D23D717 भी प्रस्तुत किया गया। इस तरह परिवहनित माल के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों में माल रायपुर (छत्तीसगढ़) से दिल्ली जाना घोषित था जिसमें माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर, छत्तीसगढ़ से दिल्ली, परिवहनित किया जाना पाया गया था। जांच के दौरान वाहन चालक से पूछताछ करने पर वाहन चालक द्वारा यह बयान दिया गया कि परिवहनित माल जयपुर में खाली किया जायेगा क्योंकि बिल्टी में अंकित भाड़ा रूपये 2400/- प्रति मैट्रिक टन जयपुर तक का ही भाड़ा है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यह भी बताया गया कि दिनांक 16.10.2015 को वाहन चालक ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि माल दिल्ली जाने का बयान देने हेतु उस पर दबाव दिया जा रहा है। उक्तानुसार वाहन चालक के बयानों के आधार पर जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी ने यह निर्णय लिया कि परिवहनित माल रायपुर से दिल्ली के बिलों के तहत परिवहनित बताया जाना मिथ्या है क्योंकि वाहन चालक के बयान अनुसार यह माल जयपुर में खाली किया जाना था। इस अवधारणा के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन बताते हुए अभियोग स्थापित किया गया। उसके पश्चात् दिनांक 19.10.2015 को प्रेषिति मैसर्स जैन ट्रेडर्स, दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से माल के सम्बन्ध में कथन किया गया कि यह माल मैसर्स जैन ट्रेडर्स दिल्ली द्वारा खरीदा गया है अतः उन्हें प्रकरण में पार्टी बनाते हुए उनका जवाब लिया जावे एवं अपीलार्थी फर्म जैन ट्रेडर्स द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया कि यह माल दिल्ली ही जा रहा है और दिल्ली की उनकी फर्म केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है जो स्टील, फेरस एवं नॉन फेरस माल का क्रय-विक्रय करती है तथा प्रश्नगत माल कांटेदार वायर्स की खरीद मैसर्स सूर्या वायर्स से की गयी है एवं इस खरीद माल के बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र D23D717 जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी है, भी परिवहन के समय उपलब्ध थे। इस तरह जांच के दौरान अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि यह माल राजस्थान राज्य के बाहर से दिल्ली की फर्म द्वारा खरीदा गया है, अतः राजस्थान वेट अधिनियम के तहत कोई प्रकरण स्थापित किया जाना अविधिक है। प्रकरण में यह भी तथ्य था कि वाहन चालक के पास मौजूद दस्तावेजों में एक लिफाफा था, जिस पर विश्वकर्मा नगर जयपुर अंकित था परन्तु अपीलार्थी ने यह बताया कि यह पता न तो विक्रेता व्यवहारी द्वारा अंकित किया गया है न ही ट्रांसपोर्टर द्वारा एवं उनका इससे कोई सम्बन्ध

लगातार.....3



नहीं है। उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में दिये गये जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल को जयपुर में खाली होने के बयानों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी पर धारा 76(2) के उल्लंघन में धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,98,082/- एवं कर रूपये 33,014/- आरोपित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि इस प्रकरण में माल के समस्त दस्तावेजों को परिवहन में जांच के दौरान प्रस्तुत कर दिया गया था, जिनमें किसी भी तरह की त्रुटि जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं बताई गई, न ही ऐसा कोई दस्तावेज पाया गया जो माल को जयपुर के किसी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल पर खाली करना प्रमाणित करता हो। कर निर्धारण अधिकारी ने स्वयं के आदेश में विश्वकर्मा नगर जयपुर में खाली करना बताया है जबकि इस पर किसी प्राप्तकर्ता का नाम नहीं है। साथ ही कथन किया कि यह जांच कोटा में की गई, जो जयपुर से 250 किमी. पहले है, अतः सम्पूर्ण कार्यवाही सम्भावनाओं के आधार पर करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जो अविधिक एवं अनुचित है। उन्होंने यह भी कथन किया कि ऐसे मामलों में अगर जांच अधिकारी को कोई संदेह भी था तो इस मामले में गुप्त रूप से पीछा किया जाकर जयपुर में खाली होना साबित किया जा सकता था जबकि ऐसी कोई कार्यवाही किये बिना केवलमात्र वाहन चालक के दबाव में दिये गये गलत बयानों के आधार पर शास्ति आरोपित की है। कथन किया कि खाली लिफाफे पर केवल विश्वकर्मा नगर जयपुर अंकित होने को आधार बनाते हुए धारा 76(2) का उल्लंघन माना है जबकि यह माल राजस्थान के बाहर से राजस्थान के बाहर जा रहा था एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया है वह भी राज्य के बाहर की फर्म मैसर्स जैन ट्रेडर्स नई दिल्ली के नाम जारी है जो यह प्रमाणित करता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने माना है कि माल दिल्ली की फर्म द्वारा ही मंगवाया गया था इसलिये उन्हीं के विरुद्ध शास्ति आरोपित की गयी है। इस तरह पूर्णतया विधिक दस्तावेज से परिवहनित माल पर शास्ति का आरोपण किया गया, जो विधि के विरुद्ध है अतः कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया।



लगातार.....4

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. इस प्रकरण में एक तथ्य निर्विवादित है जिसकी पुष्टि स्वयं जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी की है कि माल का गमनागमन रायपुर (छत्तीसगढ़) से दिल्ली के लिये किया जा रहा था एवं माल के समर्थन में माल के वजन, मूल्य अनुसार बिल, बिल्टी एवं मध्यप्रदेश व दिल्ली सरकार के वैधानिक घोषणा पत्र भी उपलब्ध थे। प्रकरण में यह भी निर्विवादित तथ्य है कि माल का परिवहन झूठे एवं मिथ्या दस्तावेजों के साथ नहीं किया गया था एवं कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या या बोगस नहीं बताया है एवं न ही कोई ऐसा संदेह किया गया है, इसका आधार यह है कि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल का परिवहन जैन ट्रेडर्स दिल्ली को किया जाना मानते हुए जैन ट्रेडर्स दिल्ली के विरुद्ध ही शास्ति आरोपित की है।
7. प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि माल की जांच कोटा में की गयी है जो जयपुर से 250 किमी. दूर है एवं यह मान लिया जावे कि वाहन चालक द्वारा यह सत्य बयान दिया गया था कि माल जयपुर में खाली होगा तब भी केवल उसके बयान के आधार पर धारा 76(2) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता एवं ऐसा अपराध किये जाने के पूर्व ही उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य अपीलीय आदेश में भी प्रकट है कि माल के समर्थन में वास्तविक बिल, बिल्टी, चालान एवं वैधानिक प्रपत्र संलग्न थे तथा परिवहनित माल जयपुर की किस फर्म का है इस बाबत किसी भी फर्म के नाम का अंकन अपने आदेश में नहीं है जो इस माल को लेने के लिये अधिकृत हो तथा न ही लिफाफे पर कोई नाम या नम्बर अंकित था। प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 76 के प्रावधान अनुसार वांछित सभी दस्तावेज वक्त जांच उपलब्ध थे अतः धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। जबकि परिवहन के दौरान माल के दस्तावेजों के न होने एवं मिथ्या होने की स्थिति में ही धारा 76(6) लागू की जा सकती है। इस प्रकरण में जांच अधिकारी ने ऐसा एक भी प्रयास नहीं किया है एवं न ही अपने आदेश में यह प्रकट किया है कि यह माल रायपुर की फर्म द्वारा विक्रय नहीं किया गया है या दिल्ली की फर्म द्वारा क्रय नहीं किया गया है बल्कि केवलमात्र वाहन चालक के बयान के आधार पर एवं माल जयपुर में खाली होने की सम्भावनाओं को मानते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधि एवं न्याय के विरुद्ध है।



लगातार.....5

8. मेरे विचार अनुसार यदि जांच अधिकारी को यह संदेह था कि वह माल जयपुर में खाली हो सकता है तो उस स्थिति में उस वाहन का गुप्त रूप से पीछा किया जा सकता था एवं जयपुर के अधिकारियों को सूचित कर वास्तविक रूप से माल खाली होने का कृत्य पकड़ा जा सकता था परन्तु ऐसा परिश्रम न कर केवल तुरन्त शास्ति के लक्ष्य प्राप्ति के लिये अपराध घटित होने की सम्भावना पर ही शास्ति आरोपित कर दी गयी, जो न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है।

9. यह टिप्पणी करना उचित होगा कि किसी भी विधिक उल्लंघन का अपराध तभी माना जा सकता है जब ऐसा कोई अपराध कारित किया गया हो। इस प्रकरण में यह तथ्य संदेह से परे है कि माल के गमनागमन का उद्गम राज्य के बाहर से हुआ था एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल को जैन ट्रेडर्स दिल्ली का होना मानते हुए उनके विरुद्ध ही आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायिक निर्णयों को नहीं माना जाना अविधिक है क्योंकि प्रस्तुत निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि out to out of state के परिवहन के मामलों में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में निम्नांकित माननीय न्यायिक निर्णयों को उद्धरित किया गया :-

- (a) स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अनादर बनाम मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर एण्ड अनादर (2001) 10 एस.टी.डी. 219 (राज.)
- (b) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता बनाम मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर (2001) 10 एस.टी.डी. 220 (आर.टी.टी.)
- (c) वाणिज्यिक कर अधिकारी, धौलपुर बनाम भागीरथ मार्फत मैसर्स केला देवी ट्रेडिंग कम्पनी, खैरागढ़ (2014) 40 टी.यू.डी. 30 (आर.टी.बी.)
- (d) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सीकर बनाम शंकरलाल मालिक फर्म मैसर्स एम.पी.बॉम्बे रोड कॉरपोरेशन (2012) 32 टी.यू.डी. 54 (आर.टी.बी.)


10. अपीलीय अधिकारी ने केवल यह अंकित किया है कि प्रस्तुत न्यायिक निर्णय इन प्रकरणों से भिन्न है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह प्रकरण साफ तौर से राज्य के बाहर से अन्य राज्य के लिये माल परिवहनित किये जाने का था एवं केवल राजस्थान राज्य की सीमा से माल गुजर रहा था। यह टिप्पणी किया जाना उचित होगा कि इस प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज, जिसमें माल की कांटापर्ची, बिल, बिल्टी एवं खरीदकर्ता के शपथपत्र एवं अन्तिम रूप से खरीदकर्ता जो कि दिल्ली की फर्म है, के नाम से शास्ति आदेश पारित होना भी यह प्रमाणित करते हैं कि माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर परिवहनित किया जा रहा था, अतः सम्भावनाओं के आधार पर आरोपित की गई शास्ति अपास्त योग्य होने से अपास्त की जाती है।



लगातार.....6

11. उपरोक्त विवेचन के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर शास्ति आदेश दिनांक 19.10.2015 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 09.12.2016 अपास्त किये जाते हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य